

Annexure – 30

(7.9)

(MPPURC approved Fee Structure)



P. K. UNIVERSITY

SHIVPURI (M.P.)

University Established Under section 2(F) of UGC ACT 1956 Vide MP Government Act No 17 of 2015

Ref. No.

Date.....

The Required information in *Proforma for submission of information by State Private Universities* which is asked under E. Fee Structure 7.9 Basis of Fee Structure.

Fee approved by fee Committee M.P Private University Regulatory Commission.


Copy of MPPURC Approved fee structure is attached.

Vice Chancellor

P. K. University
Shivpuri (M. P.)
VICE CHANCELLOR
P.K. UNIVERSITY
SHIVPURI (M.P.)

Registrar

P. K. University
Shivpuri (M. P.)
REGISTRAR
P.K. UNIVERSITY
SHIVPURI (M.P.)





म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क. 2647 / फीस / म.प्र. निजी वि. वि. आयोग / 2023

दिनांक 30/10/23

प्रति,
कुलसचिव,
पी.के. विश्वविद्यालय
शिवपुरी (म.प्र.)

आदेश

विषय- शैक्षणिक सत्र वर्ष 2023-24 में संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क समीक्षा।

-03-

उपरोक्त विषयवस्तुगत मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 20(10)(ख) एवं (ड) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष 2023-24 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क की समीक्षा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर असांखित तथ्यों/शर्तों के अन्वयान की गई है। इस हेतु आयोग द्वारा पठित शुल्क समीक्षा समिति की 23.08.2023 एवं 18.10.2023 में की गयी अनुसंधान के परिश्रेय में एवं आयोग की राया बैठक में अनुमोदन को प्रत्याशा में विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है-

शैक्षणिक सत्र 2023-24 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रुपये में)

S.No	Faculty	Course Name	Proposed Fee by University	Fee Reviewed by Fee Review Committee		
				Tuition Fee (85%)	Development Fee & All other Miscellaneous fee (15%)	Total Fee
1	MANAGEMENT	BBA	29,000.00	21250	7750	25000
2	MANAGEMENT	MBA (Finance/ Marketing/HR/ Entrepreneurship)	50,000.00	42500	7500	50000
3	ARTS	BA	10,000.00	8500	1500	10000
4	ARTS	MA	20,000.00	17000	3000	20000
5	PHARMACY	B.PHARMA	70,000.00	59500	10500	70000
6	PHARMACY	D.PHARMA	100,000.00	85000	15000	100000
7	PHARMACY	M.PHARMA	90,000.00	76500	13500	90000
8	COMMERCE	B.COM	10,000.00	8500	1500	10000
9	COMMERCE	M.COM	20,000.00	17000	3000	20000
10	SCIENCE	BSC (ALL)	10,000.00	8500	1500	10000
11	SCIENCE	MSC (ALL)	20,000.00	17000	3000	20000
12	AGRICULTURE	BSC (AG)	10,000.00	8500	1500	10000
13	AGRICULTURE	MSC (AG)	50,000.00	42500	7500	50000
14	COMPUTER APPLICATION	BCA	28,000.00	23800	4200	28000
15	COMPUTER APPLICATION	PGDCA	15,000.00	12750	2250	15000
16	COMPUTER APPLICATION	MCA	50,000.00	42500	7500	50000

VICE CHANCELLOR
P.K. UNIVERSITY
SHIVPURI (M.P.)

रिक्टर-02

30/10

कार्यालय : इना वटिका, बाली रोड, कल्याण नगर के समीप भोपाल- 462016 (म.प्र.) ई-मेल : Sec.mppurc@gmail.com, वेबसाइट : mpupvc.in, फोन : 0755-2460322
Office : Gyan Vatika, Walmi Road Opposite Kalyan Nagar, Bhopal-462016 (M.P.) Email : Sec.mppurc@gmail.com, Website : mpupvc.in, Phone : 0755-2460322



REGISTRAR
P.K. UNIVERSITY
SHIVPURI (M.P.)

Scanned by CamScanner

मास-पत्र

11/02/11

शैक्षणिक सत्र 2023-24 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

17	LAW	LLB	30,000.00	25500	4500	30000
18	LAW	BALLI	20,000.00	17000	3000	20000
19	LAW	LI M	40,000.00	34000	6000	40000
20	PARAMEDICAL	DIPLOMA PARAMEDICAL	50,000.00	38250	6750	45000
21	NURSING	BSC NURSING	95,000.00	55250	9750	62000
22	ENGINEERING	DIPLOMA ENGINEERING	28,000.00	23800	4200	28000
23	ENGINEERING	B.TECH	50,000.00	42500	7500	50000
24	ENGINEERING	M.TECH	50,000.00	42500	7500	50000

नोट- उपरोक्त शुल्क समीक्षा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव एवं उनके सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अंकक्षित वित्तीय आकड़ों के आधार पर की गई है।

- उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, परीक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, परीक्षा शुल्क एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्कों का लेखा भी पृथक से संचालित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
- अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संचालित किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानानुसार विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ब्यौरा पृथक से संचालित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
- सत्र 2023-24 हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आकड़ों एवं अंकक्षित वित्तीय वारतायिक आंकड़ों को परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जाये।
- यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जायेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।
- म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 28 एवं 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन के पूर्व अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशन का प्रावधान विहित है।
- म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2016 की धारा 9(ख) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय के कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान है। शुल्क नियमान किये गये पाठ्यक्रमों में यदि आयोग की अनुज्ञा प्राप्त नहीं है तो ऐसे पाठ्यक्रमों की आयोजन से अनुज्ञा प्राप्त की जाये।

(अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.आयोग,द्वारा अनुमोदित)

31/11/2021
(डॉ.के.पी.साहू)
सचिव

म.प्र.नि.वि.वि.आयोग, मोपाल

मोपाल, दिनांक

पृ. क्रमांक / म.प्र.नि.वि.वि.आ / 2023
प्रतिलिपि-

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि. आयोग, मोपाल को सूचनाार्थ।
2. कुलपति, संबंधित विश्वविद्यालय, की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. छात्रवृत्ति शाखा, म.प्र.नि.वि.वि. आयोग, मोपाल को सूचनाार्थ।
4. आई.टी. शाखा, म.प्र.नि.वि.वि. आयोग, मोपाल को सूचनाार्थ।
5. गई फाईल।

सचिव
म.प्र.नि.वि.वि.आयोग,मोपाल

VICE CHANCELLOR
P.K. UNIVERSITY
SHIVPURI (M.P.)

